7--समयमान वेतनमान

क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या/दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	सहायता प्राप्त शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति।	सं0–130/xxvii(7)38/2011 दिनांकः 19 अगस्त, 2011	129–134
2	प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के ऐसे सदस्य जिन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य हो चुका है उन्हें वाहन चालक ग्रेड–1 के पदों पर समायोजित किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–108/xxvii (7)/2006 दिनांकः 03 जुलाई, 2006 तथा तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्याः–226/xxvii(7)/2007 दिनांकः 22 अगस्त, 2007 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0:–304/xxvii(7)/2011 दिनांकः 28 दिसम्बर, 2011	135–136

संख्याः130/XXVII(7)38/2011

प्रषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. सचिव शिक्षा/सचिव कृषि,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक,विद्यालयी शिक्षा,
   उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, माध्यमिक, बेसिक,
   अकादमिक शोध एंव प्रशिक्षण एवं उच्च शिक्षा,
   उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक प्राविधिक शिक्षा,
   उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0--सा0नि0)अनु0--07 देहरादूनःदिनांकः19 अगस्त,2011

विषयः--सहायता प्राप्त शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

समयमान वेतनमान की स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्याःवे0आ0--181/दस--97--1 शिक्षा/97, दिनांक 20--02--1997 के क्रम में शासनादेश संख्याः134/वि0अनु0--3/2001 दिनांक 01 दिसम्बर,2001 द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किये गये थे। उपर्युक्तानुसार लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के विषय में उन कर्मचारियों के लिए जिनकी अधिवर्षिता आयु 58/60 वर्ष है और जिनके वेतनमान का अधिकतम दिनांक 01--01--1986 से लागू वेतनमानों में ₹3500/--(दिनांक 01--01--1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में ₹10500) तक है, के लिए उपर्युक्त शासनादेशों के अनुसार दिनांक 01--03--1995 से प्रभावी समयमान वेतनमान की व्यवस्था संबंधी उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 20--02--1997 के प्रस्तर--1(ख) तथा 1(ग) तथा कतिपय अन्य व्यवस्थाओं में निम्नवत् संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः--

1-- (क) शासनादेश दिनांक 20--02--1997 के प्रस्तर--1(ख) तथा 1(ग) की व्यवस्था को निम्नवत प्रतिस्थापित किये जाये।

(ख) उपर्युक्त श्रेणी के उन अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से 6 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और संबंधित पद पर नियमित हो चुके हों, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराया जाये। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद

नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान देने के लिए सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में देय वेतनवृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा अनिवार्य है, किन्तु जिन पदधारकों को दिनांक 01–03–1995 से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन दिनांक 01–03–1995 या उसके पूर्व सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि 08 वर्ष से अधिक की अवधि पर स्वीकृति हुई हो तो 01–03–1995 से प्रभावी व्यवस्थानुसार ऐसे मामलों में नियमित पदधारक को प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से न्यूनतम 4 वर्ष की सेवा सहित कुल 14 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पर अनुमन्य किया जायेगा। तदनुसार अनुमन्य वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में संबंधित कार्मिकों का वेतन पद के साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(ग) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो उपर्युक्त प्रस्तर–1(ख) के अनुसार अनुमन्य प्रथम वैयक्तिक/अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते है, उन्हें ऐसे प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उक्त सेवा अवधि पूर्ण कर लेने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा किन्तु जिन पदधारकों को दिनांक 01–03–1995 से पूर्व लागू व्यवस्था के अधीन दिनांक 01–03–1995 या उसके पूर्व वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान 14 वर्ष से अधिक की सेवा पर अनुमन्य हुआ हो, उन्हें दिनांक 01–03–1995 से संशोधित समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि का लाभ उस वेतनमान में न्यूनतम 3 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य होगा। किन्तु यह लाभ किसी भी दशा में दिनांक 01–03–95 के पूर्व देय नहीं होगा।

2– उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 01 दिसम्बर,2001 में समयमान वेतनमान के "अधिकतम ₹10500 तक" की व्यवस्था को "वेतनमान का अधिकतम ₹13500 से कम" के रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3– (क) ऐसे पदधारक जिनकी अधिवर्षता आयु 58 वर्ष अथवा राज्य कर्मचारियों के समान वृद्धि उपरान्त 60 वर्ष है तथा जिन्हें 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि तक सीधी भर्ती के पद के संदर्भ में दो प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अथवा दो पदोन्नतियां अनुमन्य नहीं हुई हों, परन्तु जिन्हे एक पदोन्नति प्राप्त हो चुकी हो और वे सीधी भर्ती के पद पर नियमित हों, उनको 24 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 मार्च,2000, जो भी बाद में हो, से सीधी भर्ती के पद के संदर्भ में द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य करा दिया जाये।

(ख) उपर्युक्त प्रस्तर--3(क) के अनुसार की गयी व्यवस्था से लाभान्वित होने के उपरान्त संबंधित कार्मिकों को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन आगे अन्य कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(ग) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 01 दिसम्बर,2001 के प्रस्तर--4(1) में लागू व्यवस्थानुसार अगले वेतनमान की अनुमन्यता के मामलों में दिनांक 01 जनवरी,1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में ₹2750--4400 तथा ₹4500--7000 के लिए अगला वेतनमान क्रमशः ₹3200--4900 तथा ₹5000--8000 माना जाये।

(घ) दिनांक 01 जनवरी,1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वेतनमान ₹2550--3200 तथा ₹2610--3540 में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिनके लिए पदोन्नति का कोई पद उपलब्ध न हो, उन्हें क्रमशः द्वितीय वैयक्तिक अगला वेतनमान तथा प्रथम वैयक्तिक अगला वेतनमान अनुमन्य कराने हेतु शासनादेश संख्या-प0म0नि0--357/दस--21(एम)--97 दिनांक 31 दिसम्बर,1997 के संलग्नक--ग पर उपलब्ध वेतनमानों की सूची में उपलब्ध ₹2650--4000 के वेतनमान को संज्ञान में न लेते हुए (इग्नोर करते हुए) ₹2750--4400 का वैयक्तिक अगला वेतनमान अनुमन्य कराया जाये।

4-- ऐसे मामलों में जहां किसी कर्मचारी/अधिकारी को समयावधि के आधार पर प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होने अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के पश्चात उसी वेतनमान में वास्तविक रूप से प्रोन्नति के फलस्वरूप यदि किसी समय बिन्दु पर संबंधित कार्मिक का वेतन उस वेतन के बराबर या उससे कम हो जाता है जो उसे वास्तविक रूप से प्रोन्नति न होने की दशा में मिलता तो ऐसे मामलों में संबंधित कर्मचारी/अधिकारी का वेतन उस समय बिन्दु पर वास्तविक प्रोन्नति वेतनमान में अगले स्तर पर पुननिर्धारित कर दिया जाये। इस प्रकार वेतन पुननिर्धारण के फलस्वरूप प्रोन्नति के पद पर संबंधित कार्मिक को अगली वेतनवृद्धि वेतन पुननिर्धारण की तिथि से 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरान्त देय होगी।

5-- संवर्गीय पुनर्गठन अथवा सेवा शर्तों में संशोधन के परिणामस्वरूप पदोन्नतीय पद की प्रास्थिति में परिवर्तन या वेतनमानों के संविलयन/उच्चीकरण से यदि किसी पद के पदोन्नतीय वेतनमान अथवा अगले वेतनमान में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है तो समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन ऐसे पद पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान भी तदनुसार ही अनुमन्य होगा।

6-- (i) उपर्युक्त प्रस्तर--5 में उल्लिखित परिवर्तन/संशोधन के फलस्वरूप यदि किसी पद पर उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान की अनुमन्यता बनती है तो जिन्हें पूर्व की व्यवस्थानुसार वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका है, उन्हें ऐसे परिवर्तन/संशोधन की तिथि से उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा तदनुसार अनुमन्य उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय अगले वेतनमान में वेतन निम्नवत निर्धारित किया जायेगा।

(क) वैयक्तिक वेतनमान दिनांक 25 सितम्बर,2006 के पूर्व की तिथि 24 सितम्बर,2006 तक उच्चीकृत होने पर वेतन निर्धारण मूल नियम–22 के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेश–4 के अनुसार किया जायेगा।

(ख) वैयक्तिक वेतनमान दिनांक 25 सितम्बर,2006 अथवा उसके बाद की तिथि से उच्चीकृत होने पर उच्चीकृत वेतनमान में संबंधित कार्मिक का वेतन मूल नियम–22 के उप नियम (क) के खण्ड (दो)(ग) के अन्तर्गत निर्धारित किया जायेगा।

(ii) उपर्युक्त परिवर्तन/संशोधन की तिथि अथवा उसके बाद अर्ह कार्मिकों को वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान परिवर्तित/संशोधन व्यवस्थानुसार देय होगा और ऐसे मामलों में वेतन शासनादेश संख्याः134/वि0अनु–3/2001 दिनांक 01 दिसम्बर,2001 के प्रस्तर–2(4)/2(5) की व्यवस्थानुसार निर्धारित किया जायेगा।

7– उपर्युक्त प्रस्तर–5 में उल्लिखित परिवर्तन/संशोधन के फलस्वरूप यदि किसी पद पर निम्न वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान की अनुमन्यता बनती है तो परिवर्तन/संशोधन की तिथि के पूर्व अर्ह कार्मिकों को अनुमन्य उच्चतर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान यथावत् रहेगा किन्तु परिवर्तन/संशोधन की तिथि अथवा उसके पश्चात् अर्ह कार्मिकों को परिवर्तित स्थिति के अनुसार निम्न वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अनुमन्य होगा।

8– उपरोक्तानुसार प्रस्तावित व्यवस्थाएं संबंधित श्रेणी के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जहां पूर्व में समयमान वेतनमान का लाभ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान अनुमन्य था।

9– उपर्युक्त समयमान वेतनमान की व्यवस्था दिनांक 31 अगस्त,2008 तक ही लागू होंगी।

10– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20 फरवरी,1997 तथा 01 दिसम्बर,2001 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाए और इसकी शेष सभी शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगें।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव।

संख्या:130/xxvii(7)38/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, गढवाल/कुमाऊं मण्डल पौडी।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड
6. समस्त सहायक निरीक्षक, सस्कृत पाठशालाएं उत्तराखण्ड।
7. उत्तराखण्ड के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यलयों के प्रधानाचार्य।
8. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्याः 304 XXVII(7)/ 2011

प्रेषक

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि)अनु0–7 देहरादूनः दिनांकः 28 दिसम्बर,2011

विषयः–प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के ऐसे सदस्य जिन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य हो चुका है उन्हें वाहन चालक ग्रेड–1 के पदों पर समायोजित किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 108/XXVII (7)/2006 दिनांक 03 जुलाई,2006 तथा तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्याः 226/XXVII(7)/2007 दिनांक 22 अगस्त,2007 का अनुपालन सुनिश्चित की जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग का पुनर्गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः108/XXVII(7)/2006 दिनांक 03 जुलाई, 2006 द्वारा प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के संवर्गीय ढांचे का पुनर्गठन किया गया है तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 226/XXVII(7)/2007 दिनांक 22 अगस्त,2007 द्वारा प्रदेश के वाहन चालक संवर्ग के ऐसे सदस्य जिन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य हो चुका है उन्हें वाहन चालक ग्रेड–1 के पदों पर समायोजित किये जाने की व्यवस्था की गई है। राजकीय वाहन चालक महासंघ द्वारा अपने मांग पत्र में यह अवगत कराया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा उपरिउल्लिखित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा हैं।

अतः उक्त के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने अधीनस्थ विभाग को निर्देशित करते हुए अनुपालन आख्या एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हेमलता ढौंढियाल)
सचिव, वित्त